उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (लेखा) अनुभाग-2
संख्या- 4/ 2022/ए-2-133/दस-2022-10 (9)/95
लखनऊः दिनांक 18 अगस्त, 2022
कार्यालय-ज्ञाप

प्रदेश के लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग एवं वन विभाग में शासनादेश संख्या-ए-1-3244/दस-73, दिनांक 11-12-1973 द्वारा दिनांक 01-04-1974 से एवं लघु सिंचाई, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग तथा वन विभाग के अन्तर्गत कार्यरत जलागम प्रबंध निदेशालय में शासनादेश संख्या -ए-2-47 /दस -97-10 (9)/95 दिनांक 03 मार्च, 1997 द्वारा व्यय के आहरणों के सम्बन्ध में साख सीमा (सी.सी.एल.) प्रणाली लागू की गई तथा अधिष्ठान मदों के व्यय का संचालन सी.सी.एल. प्रणाली से बाहर रखते हुये अन्य विभागों की भाँति कोषागार प्रणाली से आच्छादित करने, किन्तु विभाग के 'कार्य मदों' (अधिष्ठान से भिन्न मदों) के व्ययों को पूर्व की भाँति सी.सी.एल. प्रणाली के अन्तर्गत ही रखने का निर्णय लिया गया था।

2- विभागों में 'कार्य मदों' के व्यय हेतु चेक प्रणाली के समाप्त हो जाने व कोषागारों के माध्यम से ई-पेमेण्ट के संचालन के उपरान्त वर्तमान प्रचलित सी.सी.एल. प्रणाली की प्रासंगिकता समाप्त हो जाने के दृष्टिगत वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/ए-2-118/दस-2020-10(9)/95, दिनांक 18 मार्च, 2020 द्वारा वन एवं वन्य जीव विभाग में एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2022/ए-2-06/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 08 जनवरी 2022 द्वारा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में सी.सी.एल. प्रणाली समाप्त कर दी गयी है। तत्क्रम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विभागीय लेन-देन, लेखों की शुद्धता, पारदर्शिता व एकरूपता सुनिश्चित करने हेतु लोक निर्माण विभाग, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग तथा ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के कार्य मदों के व्यय को भी सी.सी.एल. प्रणाली से मुक्त रखते हुये सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित करने का निर्णय लिया गया है। तत्क्रम में लोक निर्माण विभाग, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग तथा ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग में वित्तीय वर्ष 2022-23 (दिनांक 01-04-2022) से सी.सी.एल. प्रणाली को समाप्त कर इसके स्थान पर ऑनलाइन बजट व्यवस्था व कम्प्यूटरीकृत कोषागार प्रणाली को लागू किया गया है।

3- उपरोक्त व्यवस्था लागू किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 01/04/2022 को उच्चन्त मदों तथा रेमिटान्स मदों के अवशेषों के निस्तारण के संबंध में निम्नवत व्यवस्था अपनाये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(क) वर्क्स/रेमिटान्स विभागों के दिनांक 01/4/2022 को उच्चन्त मदों तथा रेमिटान्स मदों के अवशेषों के निस्तारण/समायोजन हेतु तीन माह (अधिकतम 30 नवंबर 2022 तक) की समय- सीमा निर्धारित की जाती है।

(ख) निर्धारित समय-सीमा तक वर्क्स/रेमिटान्स विभाग अपने-अपने अवशेषों का निस्तारण/समायोजन अवश्य कर लेंगें तथा इसका लेखा महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(ग) उक्त अवधि में वर्क्स/रेमिटान्स विभागों द्वारा दिनांक 01.04.2022 को स्टॉक लेखे में उपलब्ध समस्त सामग्री का नियमानुसार निर्गमन एवं उसका व्यय सम्बन्धित कार्यों पर यथास्थिति वास्तविक आधार पर भारित किये जायेंगे तथा इसका लेखांकन निर्धारित प्रोफार्मा पर नियमानुसार किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि जिन कार्यों पर अवशेष स्टॉक सामग्री निर्गत की जा रही है उन पर वर्तमान वित्तीय वर्ष में उस सीमा तक आवंटन /बजट उपलब्ध है । इस प्रकार जितनी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

धनराशि अवशेष स्टॉक लेखे से सम्बन्धित कार्यों पर निर्गत/भारित की जायेगी, उतनी धनराशि कोषागार में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में उपलब्ध आवंटन से किसी भी दशा में आहरित न की जाये।

(घ) वर्क्स/रेमिटान्स विभाग यह अवश्य सुनिश्चित करेंगे कि अवशेषों के निस्तारण/समायोजन के लेखांकन में पूर्ण शुद्धता एवं पारदर्शिता हो तथा जिन कार्यों पर अवशेषों की बुकिंग/लेखांकन किया जा रहा है, उन पर किसी प्रकार का दोहराव (Duplicacy) न हो।

(ड़) कोषागारों को बजटीय प्रणाली के अन्तर्गत भेजे जाने वाले बिलों की शुद्धता एवं पारदर्शिता का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित खण्ड एवं आहरण वितरण अधिकारी का है। वह यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कोषागारों को भेजे जाने वाले बिलों में किसी प्रकार की अवशेष धनराशि (बिंदु (क) तथा बिंदु (ग) के अनुसार) सम्मिलित नहीं है। इस आशय का प्रमाण पत्र आहरण वितरण अधिकारी द्वारा संलग्न किया जायेगा।

प्रशांत त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।

पृष्ठांकन संख्या–4/ 2022/ए-2-133 (1)/दस-2022,तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज (इलाहाबाद)।

2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग/ सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग/ ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग/ नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।

3- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि संशोधित व्यवस्था से समस्त मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारियों, उ0 प्र0 को अपने स्तर से अवगत कराने को कष्ट करें।

4- उप महाप्रबन्धक, एकीकृत बैंकिग विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, महात्मा गॉधी मार्ग, कानपुर 208001।

5- महा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, लखनऊ/ नई दिल्ली।

6- प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग/ सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग/ ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग/ नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।

7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग/ सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग/ ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग/ नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।

8- निदेशक, वित्तीय सांख्यकी निदेशालय,जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।

9- निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उ0प्र0 प्रयागराज।

10-अतिरिक्त निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध एवं बजट निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

11-विशेष सचिव, वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 एवं वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-9 उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,
पूर्ण देव उपाध्याय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in